भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 724

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....

नदी विकास के लिए निधि

724. कुंवर दानिश अली:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हो;

(ख) देश में नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार के लिए अब तक कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ग) क्या गंगा पुनरूद्धार निर्धारित समय में पूरा किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) नदी विकास और गंगा संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय, राज्यों के क्षेत्र के भीतर आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमों की योजना, जांच और कायोन्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राज्य के भीतर प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। संघ सरकार केवल उन राज्यों को सहायता दान करती है जो प्रकृति में तकनीकी, परामर्शी, कैटालिटिक और प्रोत्साहक हों। भारत सरकार ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, ड्रेनेज विकास, बाढ़ प्रूफिंग कार्यों, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों की पुनर्बहाली और समुद्र कटावरोधी कार्यों से संबंधित कार्यों को आरंभ करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 8000 करोड़ रूपए की परिव्यय से 11वीं योजना के दौरान एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ किया। भारत सरकार ने 10,000,00 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 12वीं योजना (2012-17) के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" को जारी रखना अनुमोदित किया।

2. 11वीं योजना (7857.08 करोड़ रूपए की लागत की 420 परियोजनाओं) और 12वीं योजना (5381.29 करोड़ रूपए की लागत से 102 परियोजनाओं) को 13238.37 करोड़ रूपए की लागत से कुल 522 स्कीमों को अनुमोदित किया गया। 11वीं योजना (3566.00 करोड़ रूपए) और (1307.07 करोड़ रूपए) के दौरान 4873.07 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

3. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" नाम से एक व्यापक योजना को 3342.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से (एफएमपी-2642 करोड़

रुपए और आरएमबीए के लिए 700 करोड़ रुपए) मौजूदा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमा क्षेत्रों से जुड़े कार्यों से मर्ज किए गए घटकों के साथ 2017-2020 की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 07 मार्च, 2019 को अनुमोदित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करना है।

4. वर्ष 2017-18 के दौरान 562.67 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान 428.2 करोड़ रूपए की एक केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान 546.09 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस प्रकार 11वीं योजना की शुरूआत से आज तक कोई 6410.03 करोड़ रूपए की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई। अनुमोदित कार्यों और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। पर दिया गया है।

5. भारत सरकार ने अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना गंगा नदी को साफ करने के विशेष उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (एनजीआरबीपी) के कार्यान्वयन की शुरूआत की थी। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया था जो एनजीआरबीपी के तहत सभी चालू परियोजनाओं शामिल किया गया है।

6. भारत सरकार के केंद्रीय बजट से इस कार्यक्रम के लिए बजट प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2020-21 (31 अगस्त, 2020 तक) तक की अवधि के लिए गंगा नदी संरक्षण हेतु 13,043.97 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।

7. नदियों की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और गंगा संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के लक्षित समय अवधि के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है।

8. भारत सरकार नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दे कर उनके प्रयासों को पूरा कर रही है। विभिन्न नदियों के चिन्हित क्षेत्रों (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) में प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि कच्चे सीवेज का अवरोधन और डाइवर्जन, सीवरेज प्रणालियों का निर्माण सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत वाली सफाई, नदी तट/स्नान घाटों का विकास इत्यादि में विभिन्न प्रदूषण रोकथाम की जा सके।

9. एनआरसीपी ने 5870.54 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत से देश के 16 राज्यों के 77 कस्बों में 34 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को अब तक कवर किया है। कार्यक्रम के तहत 2522.03 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज शोधन क्षमता की विभिन्न प्रदूषण रोकथाम योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2530.63 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता को राज्य सरकारों को जारी किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित कार्य, पूर्ण कार्य एवं जारी निधि (करोड़ रुपए)																
Sl. No...	State	XIवीं योजना			XIIवीं योजना			कुल (XIवीं + XIIवीं योजना) स्थिति						2017-18	2018-19	2019-20
		अनुमोदित कार्य		जारी निधि (XIवीं योजना)	अनुमोदित कार्य		जारी निधि (XIIवीं योजना)	अनुमोदित कार्य		पूर्ण कार्य	कार्य को सिफ्ट कर दिया गया/समय से पलहे बंद कर दिया गया।	ईएफसी-एफएमबीएपी 2017-20 के अनुसार जारी कार्य	जारी निधि (XIवीं +XIIवीं योजना)	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	कुल जारी निधि
		संख्या	अनुमानित लागत		संख्या	अनुमानित लागत		संख्या	अनुमानित लागत								
1.	अरुणाचल प्रदेश	21	224.69	81.69	0	0.00	87.91	**21**	**224.69**	17		4	169.60	21.18			190.78
2.	असम	100	996.14	748.86	41	1386.97	64.89	**141**	**2383.11**	103	4	34	813.75	245.49	142.118	85.03	1286.39
3.	बिहार	43	1370.42	723.18	4	447.63	184.64	**47**	**1818.05**	42	1	4	907.82		16.583		924.41
4.	छत्तीसगढ़	3	31.13	15.57	0	0.00	3.75	**3**	**31.13**	3		0	19.32				19.32
5.	गोवा	2	22.73	9.98	0	0.00	2.00	**2**	**22.73**	2		0	11.98				11.98
6.	गुजरात	2	19.79	2.00	0	0.00	0.00	**2**	**19.79**	2		0	2.00				2.00
7.	हरियाणा	1	173.75	46.91	0	0.00	0.00	**1**	**173.75**	1		0	46.91				46.91
8.	हिमाचल प्रदेश	3	225.32	165.98	4	1139.62	221.87	**7**	**1364.94**	5	1	1	387.85	87.50	162.6	176.41	814.36
9.	जम्मू और कश्मीर	28	408.22	252.57	15	562.47	169.95	**43**	**970.69**	16	2	25	422.52	110.40	52.1984	92.81	677.93
10.	झारखंड	3	39.30	18.44	0	0.00	4.27	**3**	**39.30**	3		0	22.71				22.71
11.	कर्नाटक	3	59.46	23.80	0	0.00	0.00	**3**	**59.46**	2	1	0	23.80				23.80
12.	केरल	4	279.74	63.68	0	0.00	55.22	**4**	**279.74**	2	2	0	118.90	19.05			137.95
13.	मणिपुर	22	109.34	66.34	0	0.00	24.36	**22**	**109.34**	22		0	90.70				90.70
14.	मेघालय	0	0.00	3.81	0	0.00	0.00	**0**	**0.00**	0		0	3.81				3.81
15.	मिजोरम	2	9.13	14.48	0	0.00	1.93	**2**	**9.13**	1	1	0	16.41	0.47			16.88
16.	नागालैंड	11	49.35	28.96	6	74.52	54.17	**17**	**123.87**	14		3	83.12		10.841		93.96
17.	ओडिशा	67	169.00	101.12	1	62.32	0.00	**68**	**231.32**	66	2	0	101.12				101.12
18.	पुदुच्चेरी	1	139.67	7.50	0	0.00	0.00	**1**	**139.67**	0	1	0	7.50				7.50
19.	पंजाब	5	153.40	40.43	0	0.00	0.00	**5**	**153.40**	4		1	40.43				40.43
20.	सिक्किम	28	104.92	83.69	17	261.40	8.15	**45**	**366.32**	28	17	0	91.84				91.84
21.	तमिलनाडु	5	635.54	59.82	0	0.00	0.00	**5**	**635.54**	5		0	59.82				59.82
22.	त्रिपुरा	11	26.57	23.62	0	0.00	0.00	**11**	**26.57**	11		0	23.62				23.62
23.	उत्तर प्रदेश	26	667.57	290.69	3	291.70	111.22	**29**	**959.27**	24	2	3	401.91	13.55	15.575	39.15	470.18
24.	उत्तराखंड	12	119.82	49.63	10	715.72	153.98	**22**	**835.54**	15	2	5	203.61		4.634	35.58	243.82
25.	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	643.26	1	438.94	158.75	**18**	**2261.02**	15		3	802.01	65.03	23.652	117.12	1007.81
	कुल	**420**	**7857.08**	**3566.00**	**102**	**5381.28**	**1307.07**	**522**	**13238.36**	**403**	**36**	**83**	**4873.07**	**562.67**	**428.20**	**546.09**	**6410.03**

*आरएमबीए घटक के तहत निधियन के लिए शिफ्ट की गई स्कीम।

*****